न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अक्षय गोदारा, IAS

पत्रावली संख्या : 67/19 (प्रा0पत्र)

अनवान्

1. श्री इन्द्रसिंह पिता फतहसिंह राजपूत निवासी राणावतों का गुडा तह. मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती सज्जनकुंवर पत्नी रूपसिंह राजपूत निवासी राणावतो का गुडा, खेमली तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
3. पटवारी, पटवार हल्का खेमली तह. मावली।
4. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय मावली, तह. मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 08.01.2020

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा राणावतों का गुडा पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 3914, 3915, 3927 किता 3 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा उक्त आराजीयात में से आराजी नम्बर 3927 को छोडकर आराजी नम्बर 3914, 3915 वर्तमान राजस्व रेकार्ड में जमाबन्दी में विपक्षी सं. 1 के नाम 1/8 हिस्सानुसार दर्ज हैं। शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी साथ संलग्न हैं।
2. यह कि मुझ प्रार्थी ने माननीय न्यायालय आपमें प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि एवं अन्य कृषि भूमियों में अपने हक अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिए अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् एक वाद फतहसिंह, भंवरसिंह, नन्दाकुंवर, ममताकुंवर पुत्री फतहसिंह राजपूत निवासी राणावतों का गुडा एवं विपक्षी सं. 2 से 4 के विरूद्व ठोस तथ्यों एवं मजबूत आधारों पर आधारित प्रस्तुत कर रखा है जिसके प्रकरण सं. 179 सन् 2017 वाद है जो माननीय न्यायालय आपमें विचाराधीन होकर आगामी पेशी दिनांक 06.08.2019 की नियत है जिसमें मुझ प्रार्थी को निश्चित सफलता मिलेगी। उक्त प्रकरण संख्या 179 सन् 2017 वाद में सम्मिलित कृषि भूमि जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र पत्र में किया गया है, के खातेदार भंवरसिंह पिता दौलतसिंह का 1/8 हिस्सा विपक्षी सं. 1 द्वारा खरीदा गया है और उक्त भूमि विपक्षी सं. 1 के

Scanned with CamScanner

नाम पर रेकार्ड में भी अंकित हो चुकी है इसलिए उक्त मामले में विपक्षी सं. 1 को बतौर प्रतिवादी पक्षकार मुकदमा बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है जिसकी कार्यवाही विचाराधीन हैं।

3. यह कि मुझ प्रार्थी ने उक्त कृषि भूमि एवं अन्य कृषि भूमियों के सम्बन्ध में वाद के साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् फतहसिंह, भंवरसिंह, नन्दाकुंवर, ममताकुंवर पुत्री फतहसिंह राजपूत निवासी राणावतों का गुडा एवं विपक्षी सं. 2 से 4 के विरूद्व प्रस्तुत किया था जिसके प्रकरण सं. 108 सन् 2017 प्रा.पत्र है जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए उभय पक्षकारान को मौके एवं रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखने बावत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया गया हैं जिसकी अपील किसी भी पक्षकार द्वारा नहीं की हैं जिससे उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश आज भी प्रभावी हैं।

4. यह कि प्रार्थना पत्र मं वर्णित कृषि भूमि 1/8 हिस्सा वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज है जो 1/8 हिस्सा पूर्व में भंवरसिंह पिता दौलतसिंह के नाम पर दर्ज था और उक्त भंवरसिंह के विरूद्व न्यायालय द्वारा मौके एवं रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रखी है लेकिन भंवरसिंह पिता दौलतसिंह ने प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 3914, 3915 में अपने नाम दर्ज 1/8 हिस्सा को विपक्षी सं. 1 को विक्रय कर हस्तान्तरित कर दिया है और विपक्षी सं. 1 ने राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में भी अपना नाम अंकन करवा दिया है तथा वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकन हो जाने से विपक्षी सं. 1 इसकी आड लेकर न्यायालय द्वारा मौके एवं रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के उपरान्त भी विपक्षी सं. 1 अपने परिवारजनों के सहयोग से निरन्तर मुझ वादी के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी कर व्यवधान उत्पन्न कर रही है और विशेष भू भाग पर अनाधिकार रूप से बलपूर्वक कब्जा करने पर उतारू हो रही है और अपने नाम अंकित भूमि को पुनः हस्तान्तरित करने की धमकीयां भी दे रही है। जबकि विपक्षी सं. 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। विपक्षी सं. 1 को उक्त अवैद्यानिक कृत्य करने से रोकने के लिये मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हुं कि विपक्षी सं. 1 मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, इसमें किसी प्रकार कीं दखलन्दाजी नहीं करें, अनाधिकार रूप से प्रवेश नहीं करे, कब्जा नहीं करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें।

Scanned with CamScanner

5. यह कि मुझ प्रार्थी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि मेरी पैतृक कृषि भूमि है और इस भूमि के पूर्व खातेदार भंवरसिंह पिता दौलतसिंह जिससे विपक्षी सं. 1 ने जमीन खरीदी है उसे न्यायालय द्वारा मौके व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जा चुका है जिसकी जानकारी विपक्षी सं. 1 को भी है फिर भी विपक्षी सं. 1 अनाधिकार रूप से उक्त भूमि में प्रवेश कर विशेष भू भाग पर कब्जा करना चाह रही है और मेरे कब्जे उपयोग उपभोग में निरन्तर दखलन्दाजी कर रही है जबकि विपक्षी सं. 1 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में मूल मुकदमा विचाराधीन हैं जिसमें विपक्षी सं. 1 को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है जो जैरकार्यवाही हैं। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं और अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ प्रार्थी को भारी क्षति होगी और उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में हैं।

6. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 26.06.2019 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी सं. 1 ने मौके पर आकर विवादग्रस्त भूमि पर अनाधिकार रूप से प्रवेश कर कब्जा करने एवं मुझ प्रार्थी को बेदखल करने एवं जमीन को विक्रय करने की धमकी दी तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अतः प्रार्थना है कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशयक की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी सं. 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी को उसके हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, प्रार्थी को बेदखल नहीं करें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करें, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखे। विपक्षी सं. 1 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तांवेज पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला मूल वाद विपक्षी सं. 4 पंजीयन नहीं करें व विपक्षी सं. 2, 3 ताफैसला मूल वाद राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, ताईद मैं शपथ पत्र पेश हैं।

8. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2 से 4 राजपेरोकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब नहीं देना चाहा। विपक्षी सं. 1 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा राणावतों का गुडा पटवार हल्का खेमली की आराजी नम्बर 3914, 3915 वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में मुझ विपक्षीयां के नाम पर 1/8 हिस्सानुसार दर्ज होना स्वीकार हैं अन्य तथ्य प्रार्थी स्वयं साबित करावे क्योंकि आराजी

Scanned with CamScanner

नम्बर 3927 न तो मुझ विपक्षीयां की खातेदारी की है और न इस आराजी से मुझ विपक्षीयां का कोई सरोकार ही हैं। वाद सं. 179/17 वाद विचाराधीन हाने का तथ्य स्वीकार है किन्तु उपरोक्त वाद सं. 179/17 वाद में प्रार्थी किसी भी सूरत में सफल नहीं होगा क्योंकि उस वाद के वादी (प्रार्थी) व प्रतिवादी सं. 1 ने आपस में दुरभि संधि कर उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो अन्ततः सव्यय खारिज होगा। साथ ही प्रार्थी का यह कथन कि उसने मूल वाद में मुझ विपक्षीयां को बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है किन्तु उक्त सन्दर्भ में मुझ विपक्षीयां का विनम्र मत है कि अभी तक न्यायालय आप द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया गया है जब मैं विपक्षीयां उक्त विचाराधीन वाद में अभी तक पक्षकार नहीं बनी हुं अर्थात् न्यायालय हाजा द्वारा अभी तक प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया गया है, ऐसी अवस्था में प्रार्थी को मुझ विपक्षीयां के विरूद्व हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी ने विधि के प्रावधानों के विपरित उक्त प्रार्थना पत्र मुझ विपक्षीयां के खिलाफ प्रस्तुत किया हैं।

9. प्रकरण सं. 108/2017 (प्रा.पत्र) मे मैं विपक्षीयां न तो पक्षकार हुं और न ही माननीय न्यायालय द्वारा मुझ विपक्षीयां के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदत्त की गई हैं। ऐसी अवस्था में मुझ विपक्षीयां के विनम्र मत में उक्त विचाराधीन प्रकरण में न्यायालय आप द्वारा क्या आदेश पारित किया गया वह मुझ विपक्षीयां के संज्ञान में नहीं है और न ही उपरोक्त पारित आदेश से मैं विपक्षीयां पाबंद हुं। मुझ विपक्षीयां ने वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही आराजी नम्बर 3914, 3915 का 1/8 हिस्सा खातेदार भंवरसिंह पिता दौलतसिंह राजपूत से क्रय किया जा चुका है किन्तु प्रार्थी के पिता फतहसिंह द्वारा अपनी बहनों को बहला फुसला कर मिथ्या तथ्यों पर एक वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया और न्यायालय से एकतरफा अस्थाई निषेधाा प्राप्त कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये मेरे पक्ष में की जाने वाली नामान्तरकरण की कार्यवाही को रूकवा दिया। किन्तु बहनों को सच्चाई का ज्ञान होने पर उन्होने न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र की सम्पूर्ण कार्यवाही विड्रो करवाया था तब प्रार्थी एवं उसके पिता फतहसिंह ने दुरभिसंधि कर उक्त वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो पूर्णतया मिथ्या तथ्यों पर आधारित हैं।

10. वास्तविकता यह है कि मुझ विपक्षीयां द्वारा अपने द्वारा क्रयसुदा हिस्सा भूमि पर सतत् रूप से कृषि कार्य किया जा रहा था जिससे नाराज होकर प्रार्थी नें प्रकरण सं. 108/2017 प्रा.पत्र में एक मिथ्या प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. बाबत् पुलिस इमदाद प्रस्तुत कर न्यायालय आपसे थानाधिकारी, पुलिस थाना डबोक के नाम पर आदेश जारी करवाया और पुलिस थाना डबोक से दबाव डलवाकर मुझ विपक्षीयां को

Scanned with CamScanner

तंग परेशान एवं जलील किया किन्तु जब हमारे द्वारा पुलिस अधिकारियों को सम्पूर्ण पत्रावली उपलब्ध कराई गई कि न्यायालय उप जिला कलक्टर सा. मावली द्वारा प्रकरण सं. 108/2017 प्रा.पत्र में वर्णित पक्षकार के मध्य ही उभय पक्षकार को यथास्थिति बनाए रखने हेतु अन्तरिम आदेश पारित किया गया हैं तब उन्होने प्रार्थी को तलब किया परन्तु प्रार्थी स्वयं पुलिस थाना डबोक में उपस्थित नहीं आया और अपनी गलती को छिपाने लगा। उस वक्त प्रार्थी की दाल नहीं गली तो प्रार्थी ने मुझ विपक्षीयां को तंग व परेशान करने के लिए यह मिथ्या तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थी किसी भी सूरत में मुझ विपक्षीयां के विरूद्व किसी भी आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं।

11. प्रार्थी का किसी भी सूरत में कोई प्राइमाफैसी केस नहीं है, न ही प्रार्थी के पक्ष में कोई सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दू हैं। क्योंकि प्रार्थी जानबुझकर मिथ्या तथ्यों की आड लेकर मुझ विपक्षीयां के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराना चाहता हैं। प्रार्थी कितना चतुर, चालाक हैं इसका अन्दाजा इसी बात से लग रहा है कि प्रकरण सं. 108/2017 पा.पत्र में मुझ विपक्षीयां के पक्षकार न होते हुए भी न्यायालय हाजा को अंधेरे में रखकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर थानाधिकारी, पुलिस थाना डबोक के नाम पुलिस ईमदाद का आदेश भिजवाया गया। जबकि मैं विपक्षीयां उस मामले में पक्षकार ही नही थी। साथ की मुझ विपक्षीयां को विक्रेता द्वारा जिस स्थान पर विक्रीत भूमि का आधिपत्य सम्भलाया गया था उसी स्थान पर काबिज हो मैं विपक्षीयां अपने द्वारा क्रयसुदा हिस्सा भूमि का उपयोग उपभोग अपने परिवारजनों सहित कर रही हूं। मुझ विपक्षीयां द्वारा प्रार्थी के हक हिस्से की पैतृक सम्पति को नहीं खरीदा गया है बल्कि मुझ विपक्षीयां द्वारा खातेदार भंवरसिंह जो प्रार्थी के पिता का बडा भाई है, उससे 1/8 हक हिस्सा खरीदा गया है और भंवरसिंह को उक्त हिस्से को खरीदने का कानूनी रूप से पूरा अधिकार था। प्रार्थी खातेदार भंवरसिंह के हक हिस्से की भूमि में न तो कोई अधिकार रखता है और न ही कोई हक हिस्सा मांग करने का ही अधिकारी हैं। इन आराजीयात में आज भी प्रार्थी के पिता फतहसिंह का नाम 1/8 हिस्सा अनुसार रेवेन्यु रेकार्ड में दर्ज हैं और यदि फतहसिंह के नाम दर्ज भूमि पैतृक है तो प्रार्थी अपने पिता फतहसिंह के नाम दर्ज उक्त भूमि में से ही अपने हक हिस्से की मांग कर सकता है अन्य किसी खातेदार को उनके हक हिस्से का उपयोग उपभोग करने से रोक सकता हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थी मुझ विपक्षीयां के विरूद्व किसी भी आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नहीं हैं।

12. मुझ विपक्षीयां के विरूद्व दिनांक 26.06.2019 को कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं हुआ है और न ही उत्पन्न होकर जारी हैं। प्रार्थी ने मात्र मिथ्या मुकदमा करने की

Scanned with CamScanner

बदयान्ति से मनगढ़न्त प्रार्थना पत्र कारण अंकित कर उक्त प्रकरण प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी को कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

13. **विशेष कथन** प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भंवरसिंह द्वारा मुझ विपक्षीयां के पक्ष में जो पंजीकृत विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है उसे जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से केन्सल नहीं करा देवे तब तक प्रार्थी को इस न्यायालय में वाद/प्रार्थन पत्र लाने का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा न तो मुझ विपक्षीयां के विरूद्व कोई वाद प्रस्तुत कर रखा है और न ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद में न्यायालय द्वारा अभी तक मुझ विपक्षीयां को प्रतिवादी के रूप में संयोजित किये जाने के आदेश दिये गये है। ऐसी अवस्था में जब मुझ विपक्षीयां के विरूद्व कोई वाद ही नहीं हैं तो प्रार्थी को मुझ विपक्षीयां के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा विधि विरूद्व जाकर हस्तगत प्रार्थना पत्र मुझ विपक्षीयां के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर निरस्तनीय हैं।

14. यह कि पूर्व में प्रार्थी के पिता फतहसिंह ने अपनी बहनों को बहला फुसलाकर उन्हे मुगालते में रखकर न्यायालय आपमें एक वाद प्रकरण सं. 131/17 वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रकरण सं. 82/17 प्रस्तुत करवाया। प्रार्थी के पिता फतहसिंह द्वारा बहिनों के मार्फत उक्त प्रकरण प्रस्तुत करवाने की जानकारी बहिनों को होने पर उन्होने न्यायालय में हाजिर हो उक्त प्रकरण की कार्यवाही विड्रो कराई। जिससे भी प्रार्थी, इसके पिता फतहसिंह मुझ विपक्षीयां व भंवरसिंह से और ज्यादा रंजिश रखने लग गये। उसी रंजिशवश प्रार्थी ने अपने पिता फतहसिंह के साथ मिलकर यह मिथ्या प्रकरण पुनः हमको तंग व परेशान करने की गरज से माननीय न्यायालय आपमें प्रस्तुत किया है इसलिए भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं। अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

15. **प्रार्थी द्वारा जवाबुल जवाब प्रस्तुत** कर निवेदन किया कि आराजी नम्बर 3914, 3915 विपक्षीयां के नाम पर 1/8 हिस्सानुसार दर्ज होना स्वीकार हैं। आराजी नम्बर 3927 जों टंकण की त्रुटि से अंकित हो गई है जबकि इस आराजी से विपक्षीयां का कोई लेना देना नहीं हैं। वाद सं. 179/2017 वाद पूर्णतया ठोस एवं मजबूत आधारों पर होकर उसमें मुझ प्रार्थी को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमि मुझ प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें मुझ प्रार्थी को जन्म से ही हक अधिकार प्राप्त है और मैं प्रार्थी अपनी पैतृक कृषि भूमि में अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर

Scanned with CamScanner

उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं। लेकिन उक्त वाद में सम्मिलित कृषि भूमि के खातेदार भंवरसिंह पिता दौलतसिंह द्वारा उसका हिस्सा विपक्षी सं. 1 को विक्रय किये जाने का ज्ञान वाद प्रस्तुत करते वक्त नहीं था और न ही वाद के साथ प्रस्तुत की गई जमाबन्दी में ही विपक्षी सं. 1 के नाम खातेदार के रूप में अंकित था जिससे वाद प्रस्तुत के समय इसको पक्षकार नहीं बनाया जा सका। वाद प्रस्तुत करने पश्चात् विपक्षी सं. 1 ने भंवरसिंह से खरीदी हुई जमीन की आड लेकर मेरे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा किया और विपक्षी सं. 1 द्वारा धमकी दी कि ये जमीन मैने खरीद ली गई है, तुम अपना कब्जा लेना। इसके बाद मुझ प्रार्थी द्वारा पटवारी के पास जाकर राजस्व जमाबन्दी की नकल प्राप्त की गई जिसमें भंवरसिंह का हिस्सा बिकाव से स्वीकृति के समय भी जमाबन्दी में उक्त भूमि पर न्यायालय से स्टे होने का स्पष्ट इन्द्राज था फिर भी नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया। भूमि सज्जनकुंवर के नाम पर दर्ज होने का ज्ञान होते ही मुझ प्रार्थी द्वारा मूल वाद में इसको पक्षकार बनाने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया जो जैरकार्यवाही है तथा एक ही प्रोपर्टी होकर संयुक्त खाते व कब्जे की है जिससे उक्त सज्जनकुंवर मामले में आवश्यक पक्षकार है जिसे न्यायहित में एवं मामले के सही निस्तारण के लिए न्यायालय द्वारा अवश्य ही पक्षकार मुकदमा बनाया जावेगा। मुझ प्रार्थी ने विधि के प्रावधानों के विपरित उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है बल्कि विधि अनुरूप विपक्षीयां के खिलाफ यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

16. मुझ प्रार्थी द्वारा वाद प्रस्तुती के समय वाद के साथ जो जमाबन्दी प्रस्तुत की गई है उसमें विपक्षीयां के नाम पर नामान्तरकरण नहीं खुला था अर्थात् विपक्षीयां का नाम दर्ज नहीं था जिस वजह से वाद प्रस्तुती के समय विपक्षीयां को मामले में पक्षकार नहीं बनाया जा सका तथा वाद प्रस्तुती के समय विपक्षीयां को मामले में पक्षकार नहीं बनाया जा सका तथा वाद प्रस्तुती के दिन उक्त भूमि पर न्यायालय द्वारा स्टे होने एवं जमाबन्दी पर भी स्टे का इन्द्राज होने के बावजूद भी विपक्षीयां सज्जनकुंवर के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया है तथा वाद प्रस्तुत करने पश्चात् विपक्षी सं. 1 ने भंवरसिंह से खरीदी हुई जमीन की आड लेकर मेरे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा किया और विपक्षी सं. 1 द्वारा धमकी दी कि ये जमीन मैने खरीद ली गई है, तुम अपना कब्जा लेना। इसके बाद मुझ प्रार्थी द्वारा पटवारी के पास जाकर राजस्व जमाबन्दी की नकल प्राप्त की गई जिसमें भंवरसिंह का हिस्सा बिकाव से सज्जनकुंवर के नाम पर दर्ज होने की जानकारी हुई और जानकारी होते ही मुझ प्रार्थी द्वारा मूल वाद में इसको पक्षकार बनाने के लिए आवेदन किया गया जो जैरकार्यवाही है तथा एक ही प्रोपर्टी होकर संयुक्त खाते व कब्जे की है जिससे उक्त सज्जनकुंवर मामले में आवश्यक पक्षकार है जिसे न्यायहित में एवं मामले के सही निस्तारण के लिये न्यायालय

Scanned with CamScanner

द्वारा अवश्य ही पक्षकार मुकदमा बनाया जावेगा। उक्त भूमि पर न्यायालय द्वारा स्टे जारी किया गया है और स्टे के मामले में जो भी पक्षकार है वह एवं उन पक्षकारान द्वारा जिसको सम्पति हस्तान्तरित की जावेगी वे सभी स्टे से स्वतः ही बाध्य है इस मामले में भंवरसिंह स्वयं प्रतिवादी है और विपक्षीयां द्वारा भंवरसिंह से उक्त भूमि खरीदी है जिससे विपक्षीयां भी न्यायालय के स्टे से पाबंद होकर बाध्य हैं।

17. **विशेष कथन** प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में सही एवं वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपनी पैतृक भूमि बाबत् प्रकरण प्रस्तुत किया है जिसमें मुझको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। मुझ प्रार्थी ने अपनी पैतृक सम्पति में अपने अधिकारों की घोषणा का दावा किया है ऐसी अवस्था में उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को मुझ प्रार्थी को केन्सल कराने की कोई आवश्यकता नहीं हैं। मुझ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद में विपक्षीयां को प्रतिवादी पक्षकार बनाये जाने हेतु जानकारी होते ही आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है और न्यायालय द्वारा विपक्षीयां को अवश्य पक्षकार मुकदमा बनाया जावेगा।

18. मुझ प्रार्थी ने विपक्षीयां से रंजिशवश कोई कार्यवाही नहीं करवाई है बल्कि अपनी पैतृक सम्पति में निहित अधिकारों की घोषणा की कार्यवाही की है और विपक्षीयां द्वारा मेरे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी किये जाने से उसके विरूद्व उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका मुझको पूरा अधिकार हैं।

19. अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विपक्षीयां सं. 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं विशेष कथन गलत एवं मिथ्या होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे और मुझ प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत जवाबुल जवाब रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

20. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा दस्तावेज पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

21. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पंर विवेचन आवश्यक है:–

1. <u>*प्रथम दृष्टया मामला–*</u> हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं हैं। विपक्षी सं. 1 उक्त भूमि के

Akshay

Akshay

Scanned with CamScanner

खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध साबित होने से सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता हैं।

3. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी सं. 1 के नाम दर्ज होकर प्रार्थी खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

22. हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षी सं. 1 के नाम पर दर्ज होकर विपक्षी सं. 1 प्रार्थनाग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी वर्तमान में उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को पैतृक सम्पति होने का कथन करते हुए प्रकरण में खातेदार श्री भंवरसिंह द्वारा विपक्षी सं. 1 को भूमि विक्रय कर दी हैं। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कराये जाने का निवेदन किया हैं।

23. प्रकरण के अवलोकन से भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता फतहसिंह व खातेदार भंवरसिंह के नाम दर्ज होना स्पष्ट हैं। खातेदार भंवरसिंह द्वारा अपना 1/8 हिस्सा विपक्षी सं. 1 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया है। विपक्षी सं. 1 द्वारा भूमि को पूर्णप्रतिफल अदा कर क्रय किया गया हैं। चूंकि प्रार्थी के पैतृक सम्पति में हक हिस्से की घोषणा का बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय होगा, घोषणा सम्बन्धी बिन्दु अस्थाई निषेधाज्ञा की पत्रावली में तय नहीं किया जा सकता हैं। विपक्षी सं. 1 द्वारा खातेदार भंवरसिंह का हिस्सा क्रय किया हैं। प्रार्थी को अपने पैतृक सम्पति के तहत् अपने पिता फतहसिंह के हिस्से में से उसके हिस्से की घोषणा कराने का ही अधिकारी हैं। प्रार्थी का खातेदार भंवरसिंह की भूमि में कोई हक अधिकार नहीं बनता हैं। विपक्षी सं. 1 द्वारा केवल मात्र भंवरसिंह के हिस्से की भूमि को ही क्रय किया हैं। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर भूमि क्रय करने से विपक्षी सं. 1 सद्भावी क्रेता हैं। इसलिए खातेदार विपक्षी सं. 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाने से खातेदार विपक्षी को भारी क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित हुवे हैं। यदि खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदार के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल

Scanned with CamScanner

प्रभाव पडेगा। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य, सबूत आदि के आधार पर तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

akshay

(अक्षय गोदारा I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO)मावली

Scanned with CamScanner